(c) the date from which the control will be effective ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) : (a) to (c). Government have under consideration a scheme for maintaining price stability and ensuring availability of essential commodities at reasonable prices

Applications for Licences from Monopoly Houses to set up Industries in West Bengal, Bihar and Assam

*419 SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI
SHRI A K M ISHAQUE

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state

(a) whether any Monopoly House has applied for industrial licences for the setting up of industries in West Bengal, Bihar and Assam after 1st March, 1972, and

(b) if so, the number of applications received and action taken thereon

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C SUBRAMANIAM) (a) and b) Yes, Sir Two applications from Larger Industrial Houses for licences to set up industries in these States have been received during the period 1st March to 31st July, 1972 Both applications are under the consideration of Government

फिल्म परिषद् की स्थापना का उद्देश्य

420. श्री फूलचन्द शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म परिषद् स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इसके प्रस्तावित कृत्य क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

फिल्म परिषद् स्थापित करने का उद्देश्य :

विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा फिल्म उद्योग दोनों के लिए केन्द्रीय मंच की व्यवस्था करना तथा संस्कृति, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम के रूप में फिल्मों तथा उद्योग के विकास और स्वविनियमन के लिए उपाय ढूंढना ।

फिल्म परिषद के कार्य :

(1) आमतौर से फिल्मों तथा फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना, तथा विशेषकर

(2) कच्चे माल, स्टूडियो उपकरण, इत्यादि के आयात तथा वितरण तथा फिल्मों के निर्यात से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना ,

(3) उद्योग के तीन मुख्य पक्षों अर्थात् निर्माण वितरण तथा प्रदर्शन के बीच व्यावसायिक मानकों तथा संबंध के ढांचे के बारे में फिल्म उद्योग को सलाह देना, ताकि उद्योग का कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष के मूल्य पर असाधारण रूप से लाभान्वित न हो ,

(4) मनोरंजन कर तथा अन्य स्थानिक करों को लगाने के मामले में राज्य सरकारों के अनुकरणार्थ सिद्धान्त निर्धारित करना ,

(5) कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ,

(6) शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र में नये सिनेमाघरों के निर्माण तथा लाइसेन्स देने की पद्धति में सुगमता लाने के उपायों पर राज्य सरकारों को सलाह देना तथा जहां विभिन्न प्रकार की फिल्मों के सिनेमाघरों में दिखाने के समय का विभाजन करना आवश्यक हो, वहां इसके लिए नियन्त्रण पद्धति निर्धारित करना ।

Ultimatum by all party Aligarh Muslim University Action Committee for Muslim Ministers in U.P.

3980. SHRI M. S. SIVASWAMY: